

फ.आईएचई/एडमिन/29/आक्सन/2020-21

दिनांक 27.01.2026

सूचना आमंत्रण कोटेशन (एनआईक्यू)

सेवा में,

इंटरनेट/स्थानीय पूछताछ
और आईएचई के वेबसाइट के माध्यम से
पहचान की गई सूची के अनुसार

विषय: भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी (भा.रा.अ.अ.), नोएडा के अनुपयोगी सेंट्रल एसी प्लांट और उससे संबंधित वस्तुओं (इलेक्ट्रिकल पैनल को छोड़कर) को उद्ध्वस्त करके निपटान।

महोदय,

आपका कोटेशन सीलबंद लिफाफे में निदेशक, आईएचई को दिनांक 18.02.2026 अपराह्न 03.00 बजे तक अनुबंध-1 में दिए गए प्रारूप में एजेंसी के लेटर हेड तथा उपरोक्त कार्य के लिए बताए गए निपटान "जैसा है जहां है उसी आधार पर" नियम और शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है। कोटेशन में, इस एनआईक्यू की पत्र संख्या और तारीख का उल्लेख करना है। एनआईक्यू के नियम और शर्तें निम्न प्रकार हैं।

2. कोटेशन जमा करने वाली एजेंसी/फर्म को जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी है। एजेंसियों/फर्मों को दो कवर में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। पहले लिफाफे में जीएसटी का सर्टिफिकेट, परिशिष्ट-1 के अनुसार स्थल निरीक्षण संबंधी घोषणा और 10000/- (रुपये दस हजार मात्र) रुपये की सिक्युरिटी डिपॉजिट डिमांड ड्राफ्ट/ बैंक चेक के रूप में भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी नोएडा के पक्ष में देय होगा अथवा वैध एमएसएमई/एनएसआईसी का सर्टिफिकेट की प्रति जमा करना होगी। दूसरे लिफाफे में अनुबंध-1 में दिए गए अनुसार वित्तीय कोटेशन होगा। पहला लिफाफा सबसे पहले खोला जाएगा और जिन एजेंसी/फर्म जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रति जमा की है और परिशिष्ट-1 के अनुसार स्थल निरीक्षण संबंधी घोषणा साथ ही सिक्युरिटी डिपॉजिट 10000/- (रुपये दस हजार मात्र) रुपये डिमांड ड्राफ्ट/बैंक चेक के रूप में भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी नोएडा के पक्ष में जमा की है अथवा वैध एमएसएमई/एनएसआईसी का सर्टिफिकेट जमा की होगी वह दूसरे लिफाफा यानी वित्तीय कोट वाले लिफाफा को खोलने के लिए पात्र होंगे। भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी (भा.रा.अ.अ.), नोएडा के अनुपयोगी सेंट्रल एसी प्लांट और उससे संबंधित वस्तुओं (इलेक्ट्रिकल पैनल को छोड़कर) का निपटान की डिलीवरी कुल राशि जीएसटी सहित में उच्चतम वित्तीय उद्धरण प्रस्तुत करने वाली फर्म को प्रदान की जाएगी। आईएचई एनआईक्यू संख्या आईएचई/एडमिन/29/आक्सन/2020-21 दिनांक 27.01.2026 के जवाब में दोनों लिफाफों को तीसरे लिफाफे में डाल कर कोटेशन जमा करना है।

3. संभावित बोलीदाताओं को कोटेशन जमा करने से पहले कार्य के दायरे से अवगत होने के लिए तथा निपटान की जा रही सभी वस्तुओं के निरीक्षण के लिए साइट पर निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

4. एनआईक्यू के अनुबंध-1 में उल्लिखित मर्दों की एकमुश्त लागत एजेंसी/फर्म द्वारा उद्धृत की जानी चाहिए। मूल्यांकन कुल मूल्य के योग के आधार पर किया जाएगा।

भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Indian Academy of Highway Engineers
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

5. सफल बोलीदाता को उद्ध्यस्त/ विध्वंस कार्य शुरू होने से पहले भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी, नोएडा के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से बिक्री की पूरी राशि जमा करना आवश्यक होगा। सफल बोलीदाता को अपने खर्च पर सभी कबाड़ को हटाने और अवाई लेटर जारी होने के एक महीने (कार्य दिवसों में) के भीतर उसे ले जाने की आवश्यकता है।
6. बोलीदाताओं को अपनी बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस बोलीदाता ने एनआईक्यू के अनुबंध-1 में उल्लिखित मदों की उच्चतम कुल कीमत उद्धृत की है, उसे एच-1 बोलीदाता के रूप में चुना जाएगा। यदि एच-1 बोलीदाता एनआईक्यू के अनुसार उक्त कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो एच-2, एच-3 आदि बोलीकर्ता; द्वारा सहमत है, उत्तरदायी बोलीदाताओं को उक्त कार्य से सम्मानित किया जा सकता है, बशर्ते की वह एच-1 बोली के मूल्य के सामान दरों के अधीन कार्य करे।
7. सभी बोलीदाताओं की सुरक्षा जमा राशि बिक्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जारी की जाएगी। यदि सफल बोलीदाता एनआईक्यू के अनुसार कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे एक वर्ष के लिए आईएएचई की भविष्य की बोलियों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उसकी सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।
8. भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी (भा.रा.अ.अ.), नोएडा के अनुपयोगी सेंट्रल एसी प्लांट और उससे संबंधित वस्तुओं को "जैसा है, जहां है" के आधार पर बेचा जाएगा और इस अकादमी द्वारा इसकी उपयोगिता या गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी। सफल बोलीदाता (एच-1 बोलीदाता) को भी अपने स्वयं के खर्च पर मैनपावर, सामग्री और मशीनरी के माध्यम उपकरणों को डी-असेंबल/डिसमैटल करना हटाना होगा।
9. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण और जांच कर लें और जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य परिस्थितियों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लें जो उनकी बोली को प्रभावित कर सकती हैं। बोलीदाता को स्थल की पूरी जानकारी है वह मानी जाएगी और किसी भी गलतफहमी या अन्य कारण से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा। बोलीदाता कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्री, उपकरण, जनशक्ति और अन्य सभी सेवाओं की व्यवस्था और रखरखाव के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। बोलीदाता द्वारा बोली जमा करने का अर्थ है कि उसने यह सूचना पढ़ ली है और कार्य के दायरे और कार्य निष्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से अवगत है।
10. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेंट्रल एसी प्लांट और उससे संबंधित वस्तुओं को ध्वस्त करने और स्थानांतरित करने से संबंधित नियमों/विनिर्देशों और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट से संबंधित विभिन्न नीतियों तथा अन्य पर्यावरणीय दिशानिर्देशों से भलीभांति परिचित हो जाएं। बोलीदाता को इन नियमों और विनियमों की पूर्ण जानकारी मानी जाएगी, चाहे उसने इन्हें पढ़ा हो या नहीं, और किसी भी गलतफहमी या अन्य कारण से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा। यदि कार्य का दायरा कम हो जाता है या ऐसे मुद्दों के कारण कार्य करना संभव नहीं होता है, तो उन्हें कोई लागत देय नहीं होगी।

भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Indian Academy of Highway Engineers
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

11. बोली लगाने वाले के पास एसी और चिलर संयंत्रों और एएचयू को संभालने और अलग करने का अनुभव होना चाहिए, साथ ही साथ रेफ्रिजरेट (यदि कोई खतरनाक हो) को सुरक्षित रूप से पुनर्प्राप्त करने और जटिल प्रणाली (चिलर, डक्टिंग, पाइपिंग, कूलिंग टावर, इलेक्ट्रिकल पैनल, एएचयू) को कुशलतापूर्वक अलग करने का अनुभव होना चाहिए।
12. सफल फर्म के नाम पर इन्वायस तैयार किया जाएगा और जीएसटी 18% के दर से या प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार लागू कुल कीमत पर लगाया जाएगा। सफल बोली लगाने वाले को कुल कीमत पर 1% टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) जमा करना भी आवश्यक है। सभी कर और किसी भी प्रकार के अन्य शुल्क जो किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लगाए जा सकते हैं, उन्हें प्रस्तावित मूल्य के अतिरिक्त सफल बोलीदाता द्वारा देय होगा।
13. आईएचई बिना कोई कारण बताए कोटेशन प्राप्त होने के बाद भी एनआईक्यू को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
14. कार्य के दौरान कार्यालय की संपत्ति की किसी भी प्रकार की क्षति/नुकसान, चाहे वह जानबूझकर या आकस्मिक हो, एजेंसी को वहन करना होगा।
15. यदि सफल बोलीदाता और आईएचई के बीच लेन-देन के कारण या इस एनआईक्यू के किसी भी शब्द की व्याख्या के कारण या अन्यथा इस एनआईक्यू के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे आपसी सहमति से तय किया जा सकता है अन्यथा निदेशक, आईएचई का निर्णय सफल बोलीदाता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
16. कोटेशन को सीलबंद लिफाफे में निदेशक, आईएचई को प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें आईएचई के एनआईक्यू संख्या आईएचई/एडमिन/29/आक्सन/2020-21 दिनांक 27.01.2026 पर भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी (भा.रा.अ.अ.), नोएडा के अनुपयोगी सेंट्रल एसी प्लांट और उससे संबंधित वस्तुओं का निपटान के लिए उद्धरण लिखा होगा, जिसे दिनांक 18.02.2026 अपराह्न 3.00 बजे तक या उससे पहले पहुंचाया जाए।
17. हिन्दी के एनआईक्यू में दर्शाए गए किसी भी नियम व शर्तें अथवा सामान में तथा अग्रेजी के एनआईक्यू में दर्शाए गए किसी भी नियम व शर्तें अथवा सामान में कोई अन्तर लगता है तो अग्रेजी के एनआईक्यू को सही माना जाएगा।
18. यह निदेशक, आईएचई के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)

उपनिदेशक

कृते निदेशक

परिशिष्ट-I

साइट निरीक्षण के संबंध में घोषणा
(बोलीदाता द्वारा)

प्रति
निदेशक
आईएचई
नोएडा -201301

विषय: भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी (आईएचई), नोएडा के अनुपयोगी सेंट्रल एसी प्लांट और उससे संबंधित वस्तुओं (विद्युत पैनलों को छोड़कर) को उद्ध्वस्त करने और खरीदने के लिए बोली प्रस्तुत करना। यह बोली आईएचई के एनआईक्यू संख्या आईएचई/एडमिन/29/आक्सन/2020-21 दिनांक 27.01.2026 के उत्तर में प्रस्तुत की जा रही है।

महोदय,

यह घोषित किया जाता है कि इस एनआईक्यू दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार, मैंने/हमने बोलीदाता ने संबंधित स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण और परीक्षण किया है और बोली जमा करने से पहले कार्य की प्रकृति से संतुष्ट हो गए हैं। साथ ही, जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य परिस्थितियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली गई है जो हमारी बोली को प्रभावित कर सकती हैं। मुझे/हमें बोलीदाता को स्थल की पूरी जानकारी है और किसी भी गलतफहमी या अन्य कारण से बाद में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। मैं/हम बोलीदाता एनआईक्यू दस्तावेज़ में विशेष रूप से उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री, उपकरण, जनशक्ति और अन्य सभी सेवाओं की व्यवस्था और रखरखाव के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

मेरे/हमारे द्वारा बोली जमा करने का अर्थ है कि मैंने/हमने यह सूचना पढ़ ली है और कार्य के दायरे, स्थानीय परिस्थितियों और कार्य निष्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से अवगत हो गए हैं।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम, मुहर और तिथि

भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Indian Academy of Highway Engineers
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

Annexure-I

Format (should be on the letter head of the agency submitting the quotation)

IAHE/Admin/29/Auction/2020-21

Dated 27.01.2026

To

The Director
Indian Academy of Highway Engineers
A-5, Institutional Area
Sector-62, Noida

Sir,

Please find our quotation in respect to your NIQ bearing No. IAHE/Admin/29/Auction/2020-21 dated 27.01.2026

Sl. No.	Description of items to be dismantle, sale and removal from IAHE premises*	Total Quoted Rate in Rs.
1	<ul style="list-style-type: none"> i. 40 TR AC unit complete with chilling unit, compressor motor, condenser and related accessories – 03 Nos ii. Chilling water pump – 03 Nos iii. Condenser water pump – 03 Nos iv. Cooling Tower - 01 No. 100 TR and 01 No. 50 TR v. Water Storage Tank – 01No. vi. AHU Electrical Control Consol Panel – 01 No. vii. AHU Unitary type (in seven rooms) – 10 No. viii. Pipe Lines – as available at site ix. AC Ducts – as available at site x. Electrical Cables (which are not in use) – as available at site xi. False Ceiling – as available at site xii. Wire mess on the inner walls of the AC plant including insulation - as available at site 	
	GST @ 18% in Rs.	
	Grand Total Price including GST in Rs.	

***Note: 1. ITEMS NOT INCLUDED – i. Two Electrical Panels at AC Plant room, ii) Small Electrical Panels/ Starter panels at the AHU Rooms, iii) Electrical cables presently in use.**
2. The successful bidder is also required to deposit 1% TCS (Tax collection at source) on the total price.

I accept all the terms and conditions stated in the NIQ issued bearing no. IAHE/Admin/29/Auction/2020-21 dated 27.01.2026.

Signature of Authorized Signatory

Name of the firm with stamp and date